

पर्चा डिक्री

(आर्डर 20, रूल 6-7 जाब्ता दिवानी)

राजस्व लोक अदालत (न्याय आपके द्वार -2018) कैम्प कोर्ट-बिरकाली
न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी नोहर

अज अदालत :- सैयद शीराज अली जैदी (आर.ए.एस)

अनवान :-

1. सोहनलाल 2 बिरजाराम 3 अर्जनराम 4 पीरूराम पि0 लुणाराम जाति मेधवंशी निवासी खूर्इया तहसील नोहर।

वादीगण

बनाम

- 1 सत्यपाल पुत्र लुणाराम जाति मेधवंशी निवासी खूर्इया तहसील नोहर।
- 2 राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार राजस्व नोहर।


प्रतिवादीगण

वाद अन्तर्गत धारा 88, राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

राजस्व वाद संख्या 33 सन 2018 निर्णय दिनांक-11.05.2018

आज यह वाद राजस्व लोक अदालत " न्याय आपके द्वार - 2018 में मुझ सैयद शीराज अली जैदी उपखण्ड अधिकारी नोहर के समक्ष अधिवक्ता वादी एवं परोकार राज की उपस्थिति में अंतिम निपटारे/ निर्णय हेतु प्रस्तुत होने पर वाद वादी साक्ष्य सबुतो एवं प्रतिवादीगण की सहमति के आधार पर साबित होने के कारण डिक्री किया जाकर धोषणा की जाती है कि वादी संख्या 1 सोहनलाल के पास रोही मौजा खूर्इया के खसरा न0 222/2 की 2.4030हैक, वादी संख्या 2 बिरजाराम के पास खसरा न0 217/1 की 0.5313हैक, खसरा न0 179/1 की 0.4426हैक व खसरा न0 178/1 की 0.8014हैक 221/1 की 0.633हैक कुल 2.4080हैक व वादी संख्या 3 अर्जनराम के पास खसरा न0 721/1 की 2.37हैक, वादी संख्या 4 पीरूराम के पास खसरा न0 217/2 की 1.18885हैक, 179/3 की 0.4427हैक, खसरा न0 178/3 की 0.8013हैक कुल 2.43285हैक, तथा प्रतिवादी संख्या 1 सत्यपाल के पास खसरा न0 217/3 की 1.18885, 179/2 की 0.4427हैक, खसरा न0 178/2 की 0.8013हैक कुल 2.4385हैक भूमि रहेगी इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में अंकन किया जावे। यदि भूमि बैंक के रहन हो तो वाद रहनमुक्त राजस्व रिकार्ड में अंकन किया जावे। व्यय वाद उभयपक्ष अपना अपना वहन करेगे।

निर्णय आज दिनांक 11.05.2018 को मेरे द्वारा राजस्व लोक अदालत " न्याय आपके द्वार - 2018 में लिखाया जाकर मजमें आम में सुनाया गया ।


शिविर प्रभाषी

राजस्व लोक दालत-2018
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
नोहर (हनुमानगढ)
कैम्प कोट-बिरकाली

राजस्व लोक अदालत (न्याय आपके द्वार -2018) कैम्प कोर्ट- बिरकाली
न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्डाधिकारी (राजस्व) नोहर
पीठासीन अधिकारी का नाम : सैयद शीराज अली जैदी (आर0ए0एस0)
वाद सं0 : 33 सन 2018
अनवान :-

1. सोहनलाल 2 बिरजाराम 3 अर्जनराम 4 पीरूराम पि0 लुणाराम जाति मेधवंशी निवासी खूर्ईया तहसील नोहर।

वादीगण

बनाम

1. सत्यपाल पुत्र लुणाराम जाति मेधवंशी निवासी खूर्ईया तहसील नोहर।
2. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार राजस्व नोहर।

प्रतिवादीगण

राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 88 ।
उपस्थित : श्री मागेराम गोदारा अधिवक्ता वादी

निर्णय दिनांक :- 11.05.2018

वादी ने जरिये अधिवक्ता यह वाद राजस्व लोक अदालत " (न्याय आपके द्वार - 2018 ") में पेश किया गया संक्षेप रूप में तथ्य इस प्रकार है कि रोही मौजा खूर्ईया के खरा न0 178/2 04040हैक , 179/1.3280हैक , 217/2.9090हैक , 222 की 3.0360हैक , 721/1 की 2.378हैक कुल 12.0550हैक भूमि है वादीगण एवं प्रतिवादी संख्या 1 के नाम से सयुक्त खाता में दर्ज है वादीगण एवं प्रतिवादी संख्या 1 एक ही परिवार के सदस्य है जिन्होंने काश्त की सुविधा के मध्यनजर आपसी सहमति से बाहमी बटवारा कर लिया है उसी के अनुसार काश्त करते आ रहे है इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवाना चाहते है।

वादी का वाद राजस्व लोक अदालत में पेश होने पर प्रतिवादी संख्या 1 ने लोक भावना से प्रेरित होकर वादी के वाद को स्वीकार किया जाकर निवेदन किया की वाद भूमि वादीगण एवं प्रतिवादी संख्या 1 के नाम मुश्तरका खाते में दर्ज है जिसका आपसी सहमति से बटवारा कर लिया है बाहमी बटवारा के अनुसार भूमि राजस्व रिकार्ड में दर्ज की जाती है तो किसी प्रकार का ऐतराज नहीं है व अपने कथनों के समर्थन में राजीनामा पेश किया ।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया राजस्व रिकार्ड में वाद भूमि वादीगण एवं प्रतिवादी संख्या 1 के नाम मुश्तरका खाता में दर्ज वादीगण का कथन है कि काश्त की सुविधा को देखते हुए वादीगण एवं प्रतिवादी संख्या 1 ने आपसी सहमति से खाता विभाजन कर लिया है उसी के अनुसार राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवाना चाहते है वादीगण के वाद को प्रतिवादी संख्या 1 ने स्वीकार कर राजीनामा पेश किया गया है कोई भी मुश्तरका खातेदार काश्तकार अपनी सहमति से खाता व लगान अलग अलग दर्ज करवा पाने के अधिकारी है।

अतः वादी के द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य सबुतों एवं आपसी सहमति के आधार पर वादी का वाद डिक्री किया जाकर धोषणा की जाती है कि वादी संख्या 1 सोहनलाल के पास रोही मौजा खूर्ईया के खसरा न0 222/2 की 2.4030हैक , वादी संख्या 2 बिरजाराम के पास खसरा न0 217/1 की 0.5313हैक , खसरा न0 179/1 की 0.4426हैक व खसरा न0 178/1 की 0.8014हैक 221/1 की 0.633हैक कुल 2.4080हैक व वादी संख्या 3 अर्जनराम के पास खसरा न0 721/1 की 2.37080हैक , वादी संख्या 4 पीरूराम के पास खसरा न0 217/2 की 1.18885हैक , 179/2 की 0.4427हैक , खसरा न0 178/3 की 0.8013हैक कुल 2.43285हैक , तथा प्रतिवादी संख्या 1 सत्यपाल के पास खसरा न0 217/3 की 1.18885, 179/2 की 0.4427हैक, खसरा न0 178/2 की 0.8013हैक कुल 2.4385हैक भूमि रहेगी इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में अंकन किया जावे। यदि भूमि बैंक के रहन हो तो वाद रहनमुक्त राजस्व रिकार्ड में अंकन किया जावे। व्यय वाद उभयपक्ष अपना अपना वहन करेगे। इसी आशय की पर्चा डिक्री जारी की जाकर शामिल मिसल की गई पत्रावली नम्बर से कम की जाकर बाद तरतीब तकमील जाब्ता दाखिल दफ्तर हो ।

निर्णय आज दिनांक 11.05.2018 को मेरे द्वारा राजस्व लोक अदालत " न्याय आपके द्वार - 2018 में लिखाया जाकर मजमें आम में सुनाया गया ।

Saidi
शिविर प्रभारी

राजस्व लोक दालत-2018
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
नोहर (हनुमानगढ)
कैम्प कोट-बिरकाली